न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–18 / 2019

वाद प्रस्तुति दिनांक–03.04.2019

उनवान

रतनलाल पुत्र कालु जाति–बलाई , निवासी ग्राम–मुमाना, तहसील–पीपलू, जिला–टोंक

(प्रार्थीगण कुल कस–19)

बनाम

1.तहसीलदार, तहसील–पीपलू

(अप्रार्थीगण कुल कस–03)

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 131,136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः–05.07.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक आवेदन बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 572 रकबा 06 बिस्वा वाकै ग्राम–मुमाना, पटवार हल्का–काशीपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं। जिस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि के पास ही आराजी ख0न0 573 रकबा 01 बिस्वा वाकै ग्राम मुमाना में हैं। जिससे प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के वर्तमान ख0न0 572 रकबा 06 बिस्वा तथा पुराने ख0न0 561 रकबा 06 बिस्वा हैं। जिसका रकबा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट में सही हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बंदोबस्त के दोरान नक्शा शीट बनाते समय नक्शा शीट में ख0न0 572 रकबा 06 बिस्वा का अंकन ख0न0 573 रकबा 01 बिस्वा जिसके पुराने न0 562 हैं कि जगह नक्शा शीट में अंकित कर दिया गया हैं तथा ख0न0 573 का अंकन प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 572 की जगह कर दिया गया। जो गलत हैं। उक्त गलती राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट को देखने मात्र से स्पष्ट प्रतीत होती हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण को परेशानी हो रही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

जिसके कारण प्रार्थीगण का प्रा0पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 572 रकबा 06 बिस्वा वाकै ग्राम मुमाना का नक्शा शीट में पूर्व के अनुसार ख0न0 573 के स्थान पर किया जावें तथा ख0न0 573 रकबा 01 बिस्वा का अंकन नक्शा शीट में ख0न0 572 के स्थान पर किया जावें

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई प्रतिवादी की से पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब आवेदन एवं रिपोर्ट भू0अ0नि0 व पटवारी हल्का पेश की जवाब आवेदन में पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि आराजी ख0न0 572 रकबा 06 बिस्वा व ख0न0 573 रकबा 01 बिस्वा जो मुताबिक जमाबन्दी क्रमशः खाता संख्या 165 व 33 पर दर्ज रिकॉर्ड हैं। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल हाल ख0न0 रकबा व साबिक ख0न0 में कोई अन्तर नहीं हैं। लेकिन नक्शा शीट वर्तमान में ख0न0 572 के स्थान पर ख0न0 573 व ख0न0 573 के स्थान पर ख0न0 572 शुद्ध किये जाने हेतु पेश किया हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी प्रस्तुत पत्रावली में उपल्बध दस्तावेजात व आवेदन, जवाब आवेदन तथा रिपोर्ट भू0अ0निरिक्षक व हल्का पटवारी का गहनता से अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार ख0न0 572 रकबा 06 बिस्वा जो प्रार्थीगण के नाम हैं तथा ख0न0 573 रकबा 01 बिस्वा हैं जो नक्शा शीट में देखने मात्र से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि उपरोक्त खसरा नम्बरान् का राजस्व नक्शा शीट में एक दुसरे के स्थान पर कर दिया जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नक्शा शीट व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना योग्य प्रतीत होता हैं। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शा शीट में ख0न0 572 रकबा 06 बिस्वा का अंकन ख0न0 573 के स्थान पर व ख0न0 573 रकबा 01 बिस्वा का अंकन ख0न0 572 के स्थान पर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः प्रा0पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक 05.07.2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

<u>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक</u>

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 2906 दिनांक :– 16-07-19

तहसीलदार
पीपलू

विषयः– **निर्णय की पालना बाबत ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उनवानी प्रकरण **रतनलाल बनाम तहसीलदार, पीपलू** प्रकरण संख्या 18 / 2019 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के निर्णय दिनांक 05.07.2019 की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करायें।

संलग्न :–निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

<u>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक</u>

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 2906 दिनांक :– 16-07-19

तहसीलदार
पीपलू

विषयः– **निर्णय की पालना बाबत ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उनवानी प्रकरण **रतनलाल बनाम तहसीलदार, पीपलू** प्रकरण संख्या 18 / 2019 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के निर्णय दिनांक 05.07.2019 की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करायें।

संलग्न :–निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू